भारत सरकार
लोक संपर्क और संचार ब्यूरो
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003

24 दिसंबर, 2020

मिसिल संख्या:सीओ(एवी)/प्रा.एफएम एम्पनलमेंट-2021

**परामर्शिका**

**विषय:- बीओसी के साथ निजी एफएम रेडियो स्टेशन की पैनलबद्धता के संबंध में**

निजी एफएम रेडियो स्टेशनों (जो अभी बीओसी में पैनलबद्ध नहीं हैं) को पैनलबद्ध करने के लिए ऑनलाइन विंडो को 1 से 21 जनवरी तक 3 हफ्तों के लिए खोलने का निर्णय लिया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक बीओसी की वेबसाईट (www.davp.nic.in) पर इलेक्ट्रॉनिक-रेडियो टैब के अंतर्गत उपलब्ध होगा। ध्यान दें कि लिंक सिर्फ 1 जनवरी 2021 के बाद ही खोल जाएगा।

2. बीओसी के साथ पैनलबद्धता के लिए, एफएम स्टेशन 6 माह पुराना और 16 घंटे प्रति दिन प्रसारण अवधि वाला, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी वैध अनुमति अनुबंध का अनुदान (GOPA) तथा संचार एवं सूचना प्रौद्योगिक मंत्रालय के डब्ल्यूपीसी विंग द्वारा जारी वैध वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस (डबल्यूओएल) वाला होना चाहिए। पैनलबद्धता के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्नवत हैं (जिनको आवेदनके समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा) :

(i) सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित अनुमति अनुबंध का अनुदान (जीओपीए) की प्रति।

(ii) संचार एवं सूचना प्रौद्योगिक मंत्रालय के डबल्यूपीसी विंग द्वारा जारी वैध वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस (डबल्यूओएल) की प्रति।

(iii) पिछले छह माह सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक की निर्धारित कार्यक्रमों की सूची में जिस दौरान एफएम स्टेशन संचालित हुए थे। आवेदन की तिथि से पिछले एक माह के प्रसारित कार्यक्रमों की एक सीडी।

(iv) राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफ़टी)/इलेक्ट्रानिक क्लियरिंग सेवा (ईसीएस) के लिए भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (आईएफ़एससी) के विवरण के साथ कंपनी के नाम का एक कैंसिल चेक जमा करना होगा।

(v) निर्धारित राजस्व विवरण, अद्यतित लाभ और हानि खातों, बैलेंस शीट और वास्तविक कर भुगतान के साथ पिछले वित्तीय वर्ष हेतु सेवा कर और आवेदन की तिथि से पहले के वित्तीय वर्ष के दौरान निजी एफएम रेडियो स्टेशनों द्वारा सृजित विज्ञापन राजस्व की राशि के लिए लेखा परीक्षक/कंपनी सचिव द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र।

(vi) निजी एफएम रेडियो स्टेशन या तो प्रसारण प्रमाण पत्र (बीसी) का दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान करेगा या एक शपथ पत्र देगा कि वे आवेदन जमा करते समय प्रसारण प्रमाण के साथ मूल बिल प्रदान करेंगे।

(vii) प्रक्रिया शुल्क के रूप में बीओसी के वेतन एवं लेखा अधिकारी के पक्ष में 10,000/- रुपये का डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुत देना होगा, जो अप्रतिदेय होगा ।

(viii) वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के कार्यकारी दवारा सत्यापित एक पत्र जिसमें बिलों/ बीसी के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम, पदनाम और हस्ताक्षर का उल्लेख हो।

(ix) स्टेशन के नाम, आवृत्ति और संचालन की स्थिति का उल्लेख करते हुए एक हस्ताक्षरित सूची जो समूह / धारक कंपनी / मीडिया हाउस द्वारा प्रदान की जाएगी, जिससे आवेदक एफएम रेडियो स्टेशन संबंधित है।

3. बीओसी में पैनलबद्धता के लिए इच्छुक सभी एफएम स्टेशनों को निर्धारित समय सीमा (1 से 21 जनवरी, 2021 से) में आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, ऑनलाइन आवेदन की विधिवत भरी हुए प्रति, पैरा 2 में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ निम्न अधिकारी को प्रस्तुत करने होंगे :

सुश्री सुमेधा भारद्वाज,
अभियान अधिकारी, बीओसी (पूर्ववर्ती डीएवीपी)
कमरा संख्या. 284, द्वितीय तल,
सूचना भवन, लोधी रोड़,
नई दिल्ली-110003

4. ध्यान देने योग्य बात यह है कि, सभी दस्तावेज (ऑनलाइन आवेदन की मूल प्रति सहित) सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं होने पर बीओसी में आवेदित होने पर भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

यह महानिदेशक, बीओसी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(अमित कुमार)
उपनिदेशक-श्रव्य दृश्य सेल